कृषि ऋण माफी से परे जीवन रेखा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- किरणकुमार विस्सा (सदस्य, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्य समूह)

31 दिसंबर, 2018

''ऋण प्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ कृषि को लाभदायक बनाये जाने पर कार्य करना चाहिए।''

ग्रामीण कृषि संकट आज राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है, जिसे हम हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों में और पिछले दो साल से हो रहे निरंतर किसान आंदोलन में देख सकते हैं। एक महीने पहले, दिल्ली में किसानों के आंदोलनों ने उनके अभाव, क्रोध और समाधान की वास्तविकता को उजागर किया है। उल्लेखनीय रूप से, उनकी उपस्थिति ने शहरी मध्य वर्गों को एकजुटता में आंदोलन करने के लिए उकसाया है और साथ ही इन्हें प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ है।

संकट का रोना

अभी हाल के दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनी गयी तीन नई सरकारों द्वारा भी उठाया गया पहला कदम कृषि ऋण माफी ही था और इसकी उपयोगिता के बारे में बहस भी शुरू हो चुकी है। वास्तव में, यह केवल ऋण माफी का नवीनतम दौर है। 2014 के बाद से तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे विभिन्न दलों द्वारा संचालित राज्यों में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ था। राजनीतिक प्रणाली अनिवार्य रूप से इस गंभीर का समस्या के प्रत्यक्ष बिंदु पर बार-बार चोट मारने से चूक नहीं रही है।

यह उनके बढ़ते कर्ज का बोझ है जो किसानों को निराशा और आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा है। एनएसएसओ की कृषि आधारित परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (2013) के मूल्यांकन से पता चलता है कि 52% कृषक परिवार ऋणी हैं और कुछ राज्यों में यह दर 89-92% तक है। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई है, खासकर अनौपचारिक स्रोतों से। यह समस्या धीरे-धीरे हाथी बन गया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

एक ऋण माफी केवल तत्काल राहत का एक तत्व है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सरकार की प्रणालीगत विफलताओं के कारण ही किसान कर्ज के पहाड़ नीचे दबे जा रहे हैं। सिर्फ तीन कारकों (सूखे और आपदाओं के दौरान मुआवजे की कमी, फसल बीमा योजना की विफलताओं और घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे की कीमतों के कारण घाटे) के कारण किसानों पर बोझ हर सीजन में हजारों करोड़ों तक चला जाता है।

ऋणग्रस्तता से निपटने के लिए बिल

लेकिन प्रमुख सवाल यह है कि कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि इसका लाभ छोटे और सीमांत कृषकों तक पहुंचेगा, जिन्हें वास्तव में राहत की आवश्यकता हैं? और कोई कैसे गारंटी दे सकता है कि पांच साल बाद फिर से वही स्थिति नहीं बनी रहेगी? हर कुछ वर्षों में चुनावी कर्ज के रूप में उपयोग किए जाने वाले बार-बार ऋण माफी राजनीतिक दलों के हित में हो सकती है, लेकिन यह किसानों के हित में नहीं है। ऋणग्रस्तता के लिए दीर्घकालिक राहत के साथ तत्काल राहत प्रदान करना होगा।

चल रहे किसानों के आंदोलन का अनूठा पहलू यह है कि उनकी मांग एकमुश्त ऋण माफी से परे है - वे ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं। बिल, जिसे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा विकसित किया गया है, इसमें सुधार के दो प्रमुख तत्व शामिल हैं, पहला एक कार्यात्मक संस्थागत ऋण प्रणाली जो सभी कृषकों के लिए सुलभ और जवाबदेह हो और दूसरा खराब वर्षों में ऋण जाल से सुरक्षा।

सबसे पहला, यह संस्थागत ऋण के लिए सभी किसानों की पहुंच की गारंटी देता है; इसमें न केवल भूमि के मालिक किसान, बल्कि शेयरधारक, किरायेदार, आदिवासी और महिला किसान और पशुपालक शामिल हैं। इसमें सभी कृषकों के पंजीकरण और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता है। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सीमांत और भूमिहीन किसानों को ज्यादातर संस्थागत ऋण से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें साहूकारों और इनपुट डीलरों द्वारा उधार लेना पड़ता है।

अन्य भूमि मालिकों से भूमि का पट्टा करने वाले किरायेदार किसान विशेष रूप से असुरक्षित हैं। जून, 2018 में रथु स्वराज्य वेदिका के एक अध्ययन से पता चला है कि तेलंगाना में 75% किसान आत्महत्याएँ किरायेदार किसानों द्वारा की जाती हैं। एनएसएसओ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (2013) ने दिखाया है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत स्रोतों से औसत ऋण केवल 17,570 हजार रूपए प्रति परिवार और मध्यम और बड़े किसानों के लिए 1,41,804 लाख रूपए है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 में भूमिहीन किसानों को ऋण देने और किसानों के अनौपचारिक ऋण को बैंक ऋण में बदलने के लिए एक ऋण-स्वैपिंग योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन वे कागजों पर ही बने रहे।

दूसरा, यह केरल के किसान ऋण राहत आयोग के मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसानों की संकट और आपदा राहत आयोगों की स्थापना करता है। प्राकृतिक आपदाओं, व्यापक कीट हमले और इस तरह की आपदाओं की घटनाओं के आधार पर, आयोग किसी विशेष वर्ष में कुछ क्षेत्रों या फसलों को संकटग्रस्त घोषित करने की सिफारिश कर सकता है। इसके बाद, इसमें ऋण राहत के उपायों को आदेश देने की शक्ति है, जिसमें ऋण पुनर्निर्धारण, ब्याज माफी, एकमुश्त निपटान, किश्तों में ऋण का निर्वहन या एक चरम स्थिति में, ऋण का तत्काल निर्वहन शामिल हो सकता है। संकटग्रस्त किसानों के गैर-संस्थागत ऋणों के संबंध में आदेश पारित करने के लिए राज्य-स्तरीय आयोग को भी सशक्त बनाया गया है।

इसका सिद्धांत यह है कि पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण नुकसान झेलने वाले किसान संरक्षित होने के लायक हैं। यह देखते हुए कि कृषि एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यम है, सीमित देयता और दिवालियापन संरक्षण की अवधारणाओं को कृषि क्षेत्र के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण संकटग्रस्त किसानों को लक्षित सुरक्षा प्रदान करता है जब उन्हें इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है, जिसके बाद उन्हें चुनावी वर्ष तक ऋण, संकट और आत्महत्या करने का कठोर फैसला नहीं उठाना पड़ेगा। वर्तमान में, इसकी अपर्याप्त कवरेज और भुगतान के साथ फसल बीमा उस भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है।

समाधान पर कार्य

ऋण प्रणाली में सुधार के अलावा, कृषि को उचित पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने, खेती की लागत को कम करने और व्यवहार्य किसान सामूहिक और कृषि के स्थायी मॉडल को बढ़ावा देकर लाभदायक बनाया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों और सरकारों के सामने चुनौती किसानों द्वारा मांगे गए संस्थागत समाधानों को पहुंचाना है। यदि सरकारें व्यवसाय के रूप में सामान्य दृष्टिकोण अपनाती हैं और अगले कार्यकाल के लिए इस समस्या को चुनावी मुद्दों के रूप में कायम रखना चाहती हैं, तो कृषक समुदाय को राहत देने की संभावना नहीं है।

GS World टीम...

किसानों की आय में तेजी से वृद्धि के संभावित उपाय

1. **कृषिगत गतिविधियों का विविधिकरण:** प्राय: यह देखा गया है और कई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाले फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों को आय में तेजी से वृद्धि होती है। अत: कृषिगत गतिविधियों के विविधिकरण को गति देनी होगी।

2. **बेहतर सिंचाई के साधन:** देश में अभी भी निम्न उत्पादकता का एक बड़ा कारण सिंचाई के साधनों की अपर्याप्त उपलब्ध ता है। अत: इस संबंध में भी ध्यान देने की जरूरत है।

3. **प्रतिस्पर्द्धी बाजार मूल्य:** बेहतर उत्पादन के बावजूद यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका एक मुख्य कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमत का न मिल पाना है और इसके कई कारण हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण की समुचित व्यवस्था आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र में सुधार की समूची कवायद इन्हीं मूल बातों पर केन्द्रित होनी चाहिये। राज्य स्तर के आँकड़ों से पता चलता है कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2006-07 और 2013-14 के बीच वास्तविक कृषि आय (इसमें व्यापार में सुधार के कारण बढ़ी आय भी शामिल है) दोगुनी हो गई है।
- इन राज्यों द्वारा उपरोक्त मूल बातों पर ही ध्यान दिया गया है और यदि भारत के सभी राज्यों में ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही हम वर्ष 2022 तक किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे सकते हैं।

एमएसपी क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।
- एमएसपी का नया फार्मूला
- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है?
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है?
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है?
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है?
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति?

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. नाबार्ड ने 2014 में भूमिहीन किसानों को ऋण देने और किसानों के अनौपचारिक ऋण को बैंक ऋण में बदलने के लिए ऋण-स्वैपिंग योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
   2. किसानों को ऋणग्रस्तता के लिए दीर्घकालिक राहत के साथ-साथ तत्काल राहत प्रदान करनी होगी।
   3. एनएसएसओ की कृषि आधारित परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (2013) के अनुसार भारत में 52% कृषक परिवार ऋणी हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) 1 और 2
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल के कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों द्वारा किसानों के कर्ज माफी को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना किसानों के लिए कितना लाभकारी साबित हो रहा है? आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

नोट : 29 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence